Attchement-1.5

(5)

विस्तृत आख्या

परियोजना का नाम :– धूनाघाट–बसौट मोटर मार्ग का निर्माण।

लैण्ड शैड्यूल : संलग्न किया गया है।

वांछित भूमि का विवरण (Description of the Land Required):- प्रस्तावित मार्ग की स्वीकृति एस0सी0पी0 (राज्य योजना) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 3851(1)।।(2)/11–04(एम0एल0ए0)/2011 द्वारा 6.000 किमी0 लम्बाई हेतु रू0 75.00 लाख हेतु प्राप्त हुआ है। उक्त

उपरोक्त बसौटी ग्राम 2.75 किमी0 में जुड़ने के कारण 2.75 किमी0 लम्बाई में प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। 2.75 किमी0 लम्बाई में वांछित प्रभावित भूमि का विवरण निम्नवत हैं :–

(a) प्राइवेट भूमि (Private Land) -	705M.x7M.=4935Sqmt	= 0.4935 Hectare
(b) आरक्षित वनभूमि (Reserve Forest Land) -	25M.x7M. =175 Sqmt	= 0.0175 Hectare
(c) सिविल भूमि (Civil Land) -	1520M.x7M.=10640Sqmt	= 1.064 Hectare
(d) वन पंचायत (Van Panchyat) -	500M.x7M.=3500.00Sqmt	= 0.35 Hectare

कुल भूमि जो कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक है :–

(0.4935+0.0175+1.064+0.35) = 1.925 Hectare

विदित हो कि सिमियाउरी ग्राम की बसावट को संयोजित करने हेतु मार्ग की पूर्ण लम्बाई प्रस्तावित की जा रही है, तथा लक्षित ग्राम को संयोजित करने हेतु अतिरिक्त लम्बाई की आवश्यक नहीं है।

प्रभावित पेड़ो का विवरण (Status of Tree felling):- मोटर मार्ग में कुल 77 पेड़ विभिन्न प्रजाति के प्रभावित हो रहे है, जिसमें मुख्यतः चीड़, बॉज एवं देवदार हैं। इन 77 पेड़ों में से 20–30 व्यास के 47 वृक्ष, 30–40 व्यास के 5 पेड़, 40–50 के व्यास के 17 पेड़, 50–60 व्यास के 4 पेड़, 60–70 व्यास के 4 पेड़, आ रहे है।

मोटर मार्ग का संक्षिप्त विवरण (Brief Description of the road):- प्रस्तावित मोटर मार्ग से धूनाघाट (आबादी–90) एवं मेल्टा (आबादी–50) बसौट(आबादी–180) ग्राम लाभान्वित हो रहे है। इस प्रकार कुल 320 आबादी लाभान्वित हो रही है। यह मार्ग विकास खण्ड, पाटी जिला चम्पावत (उत्तराखण्ड) में स्थित है। इस मार्ग में आरक्षित वन क्षेत्र/वनभूमि एवं प्राईवेट भूमि एवं सिविल भूमि/वन पंचायत प्रभावित हो रही है। जिस हेतु वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है।

मोटर मार्ग को वन भूमि में अवस्थित करने का औचित्य (Necessity of the project and justification for locating the project in forest area):- वर्तमान में बसौट एवं अन्य तोकों के ग्रामवासियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं एवं अपने कृषि उत्पादों को रोड हैड तक पहुँचाने हेतु लगभग 2.00 किमी0 की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है। मोटर मार्ग के अभाव में क्षेत्रवासियों को उचित चिकित्सा सेवायें नहीं मिल पा रही है, जिस कारण गर्भवती महिलाओं एवं अन्य रोगियों के जीवन का जोखिम बना रहता है।

मोटर मार्ग से असंयोजकता के कारण क्षेत्रीय जनता अनेकाएक लाभों से वंचित है, तथा पिछड़ेपन का शिकार है। ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती एवं पशुपालन है। ग्रामवासियों अपनी कैश फलसों (Cash crops) यथा सन्तरे, अदरक, आलू, नीबू इत्यादि को रोड हैड तक पैदल अथवा खच्चरों से लाया जाता है, तथा उनके उत्पादों का उन्हें सही लाभ नहीं मिल पाता।

मोटर मार्ग से संयोजकता हो जाने के उपरान्त ग्रामवासियों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में प्रगति होन के साथ–साथ गॉव से नवयुवकों का पलायन रूकेगा। मार्ग निर्माण में प्रभावित 1.574 हेक्टेयर प्रभावित वनभूमि जो कि सर्वेक्षण पश्चात चिन्हित की गई है, न्यूनतम है तथा समरेखन को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है कि पेड़ों का न्यूनतम पातन हो। इस प्रस्तावित समरेखन के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक समरेखन नहीं है, जिसमें इससे कम पेड़ो का पातन हो। वनभूमि 7.00 मी0 चौड़ाई में लिया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है, तथा **(Straight Reaches)** में 6.00 मी0 चौड़ाई में मार्ग निर्माण किया जायेगा।

A-1.5 (6)

भूगर्भवेत्ता की निरीक्षण आख्या से भी स्पष्ट होता है कि इस प्रस्तावित समरेखन में मार्ग निर्माण भूगर्भ की दृष्टि से सुरक्षित है। समरेखन में कोई भी कब्रिस्तान, अत्येष्टि स्थल, धार्मिक/ऐतिहासिक/पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल/स्थान प्रभावित नहीं हो रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगोचर रखते हुए जनहित में 1.574 हेक्टेयर वनभूमि को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रदत्त करने की कृपा करें।

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0,
चम्पावत

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0,
चम्पावत

J.E